

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .2464
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थी

2464. श्री के. गोपीनाथ:

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में पीएम-किसान के अंतर्गत लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि श्रमिकों को इसमें शामिल करने की योजना बना रही है; और

(घ) इस योजना में सभी पात्र किसानों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या पहल है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष रुपये 6,000 का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी डी.बी.टी. योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के, देश भर के सभी किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में रुपये 3.24 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत अब तक के लाभार्थियों तथा उन्हें जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध - 1 में है।

(ख): ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में पीएम-किसान के लाभार्थियों की जिलावार संख्या क्रमशः अनुबंध-2 और अनुबंध-3 में दी गई है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उनका सत्यापन करना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

मंत्रालय अक्सर राज्य सरकारों के समन्वय के साथ सेचुरेशन अभियान चलाता रहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। हाल ही में 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वी.बी.एस.वाई.) के तहत देश भर में सेचुरेशन अभियान चलाया गया, ताकि सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ा जा सके। देश भर में वी.बी.एस.वाई. अभियान के दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारी लगातार अपने-अपने गांवों में पीएम-किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों की पहचान करते हैं और उन्हें योजना में जोड़ते हैं। पीएम-किसान योजना की पंजीकरण की सेवाएँ देश भर में 5.0 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी उपलब्ध हैं, ताकि किसान अपने नजदीक ही योजना के तहत पंजीकरण करा सकें।

पीएम-किसान की शुरुआत से अब तक लाभ प्राप्त लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा
(31.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	हस्तांतरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17,678	50.97
2	आंध्र प्रदेश	60,02,607	15,772.99
3	अरुणाचल प्रदेश	1,05,600	245.23
4	असम	34,88,637	5,847.81
5	बिहार	86,36,562	23,934.39
6	चंडीगढ़	484	1.29
7	छत्तीसगढ़	40,08,908	8,466.91
8	दिल्ली	17,349	43.82
9	गोवा	11,719	26.52
10	गुजरात	66,21,097	17,882.57
11	हरियाणा	20,35,496	5,790.87
12	हिमाचल प्रदेश	10,37,206	2,925.54
13	जम्मू और कश्मीर	12,71,753	3,303.37
14	झारखंड	29,63,524	6,619.70
15	कर्नाटक	59,13,902	16,067.12
16	केरल	38,01,577	10,547.57
17	लद्दाख	20,717	56.93
18	लक्षद्वीप	2,584	5.27
19	मध्य प्रदेश	95,18,752	25,193.11
20	महाराष्ट्र	1,19,11,984	31,873.31
21	मणिपुर	5,38,607	789.23
22	मेघालय	2,09,751	446.21
23	मिजोरम	1,96,057	358.06
24	नागालैंड	2,21,740	585.75
25	ओडिशा	44,38,559	10,695.05
26	पुदुचेरी	11,399	32.35
27	पंजाब	23,62,302	5,224.20
28	राजस्थान	90,19,695	21,671.44
29	सिक्किम	24,753	46.04
30	तमिलनाडु	46,76,080	10,900.69
31	तेलंगाना	39,77,791	11,716.53
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	15,084	43.95
33	त्रिपुरा	2,71,108	744.49
34	उत्तर प्रदेश	2,88,70,495	74,273.24
35	उत्तराखंड	10,23,545	2,743.68
36	पश्चिम बंगाल	52,64,719	9,476.38
	कुल योग	12,85,09,821	3,24,402.59

ओडिशा राज्य में पीएम-किसान के अंतर्गत जिलेवार लाभार्थियों की संख्या
(31.07.2024 तक)

क्र. सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	कुल हस्तांतरित राशि (करोड़ में)
1	अनुगुल	1,67,252	402.41
2	बलांगीर	2,36,353	584.24
3	बालेश्वर	2,88,915	692.46
4	बारगढ़	1,76,533	433.88
5	भद्रक	1,87,918	436.78
6	बौध	63,900	159.91
7	कटक	2,17,691	509.99
8	देवगढ़	44,632	119.49
9	ढेंकनाल	1,34,477	316.94
10	गजपति	60,550	153.11
11	गंजम	2,53,457	596.75
12	जगतसिंहपुर	1,44,375	338.81
13	जाजापुर	1,88,042	416.92
14	झारसुगुडा	39,670	100.62
15	कालाहांडी	1,72,981	427.25
16	कंधमाल	90,985	232.94
17	केंद्रपाड़ा	1,71,237	391.21
18	केंदुझार	2,34,207	599.85
19	खोरधा	1,04,712	237.59
20	कोरापुट	1,12,481	266.62
21	मल्कानगिरी	66,247	150.44
22	मयूरभंज	3,19,305	794.82
23	नबरंगपुर	1,33,502	325.72
24	नयागढ़	1,07,304	240.48
25	नुआपाड़ा	98,776	249.69
26	पुरी	2,04,043	471.72
27	रायगढ़	78,624	186.07
28	संबलपुर	85,727	211.90
29	सोनेपुर	74,246	182.88
30	सुंदरगढ़	1,80,417	463.56
	कुल	44,38,559	10,695.05

तमिलनाडु राज्य में पीएम-किसान के अंतर्गत जिलेवार लाभार्थियों की संख्या
(31.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	कुल हस्तांतरित राशि (करोड़ में)
1	अरियालुर	1,14,058	309.26
2	चेंगलपट्टूर	65,455	131.49
3	चेन्नई	100	0.25
4	कोयंबटूर	69,683	190.48
5	कुड्डालोर	2,69,442	509.99
6	धर्मपुरी	2,17,661	519.39
7	डिंडीगुल	1,40,953	363.74
8	इरोड	1,04,317	294.51
9	कल्लाकुरिची	2,24,608	421.23
10	कांचीपुरम	89,392	146.08
11	कन्याकुमारी	2,16,119	535.82
12	करूर	79,780	213.57
13	कृष्णागिरी	1,74,397	432.96
14	मदुरै	1,41,691	329.62
15	माइलादुत्रयी	11,389	23.73
16	नागपट्टिनम	50,143	130.31
17	नमक्कल	94,761	264.50
18	पेरम्बलुर	80,290	222.36
19	पुदुक्कोट्टई	1,46,131	373.95
20	रामनाथपुरम	1,30,105	315.75
21	रानीपेट	43,524	107.94
22	सलेम	2,78,995	573.65
23	शिवगंगा	1,15,658	307.32
24	तेनकासी	52,742	135.53
25	तंजावुर	1,27,539	326.18
26	नीलगिरी	50,805	119.82
27	थेनी	49,418	129.49
28	तिरुवल्लुर	1,50,672	232.11
29	थिरुवरुर	63,574	170.25
30	तिरुचिरापल्ली	1,66,961	433.64
31	तिरुनेलवेली	62,637	170.42
32	तिरुपथुर	66,813	171.25
33	तिरुपूर	99,811	264.49
34	तिरुवन्नामलाई	3,24,051	706.08
35	तूतीकोरिन	85,236	225.20
36	वेल्लोर	1,38,202	290.91
37	विल्लुपुरम	2,84,739	570.51
38	विरुधुनगर	94,228	236.93
	कुल	46,76,080	10,900.69
